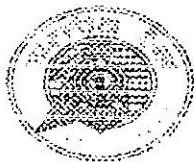


Printed
3 pages

92

पूर्वोत्तर रेलवे



1/106/2018

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-2-18

क्रमांक-106/2018

आरबीई सं0-81/2018 (स्पष्टीकरण)/शुद्धपत्र सं0 93)

स0 ई/227/2/भाग-15/IV

दिनांक 20-06-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-खेलकूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों का त्याग पत्र।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/17/सर्विस बॉण्ड दिनांक 07.06.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 31.12.2010 (आरबीई सं0 189/2010) इस कार्यालय के परिपत्र सं0ई/227/2/भाग-~~श~~चार दिनांक 31.01.2011(क्रमांक-24/2011) द्वारा पूर्वपरिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(अमरेंद्र कुमार) (अमरेंद्र कुमार)
सकाधि/मुख्या0-11
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूछरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूछरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक
R-199

3
106/2018

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/17/सर्विस बॉण्ड

नई दिल्ली, दिनांक 07.06.2018

महाप्रबंधक(कार्मिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल डिब्बा कारखाना, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,
महानिदेशक, अ.अ. एवं मा.सं./लखनऊ.

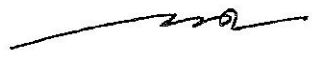
विषय: खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों का त्यागपत्र

संदर्भ: दिनांक 31.12.2010 का बोर्ड का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)
(आरबीई सं. 189/2010)

बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 के पत्र के पैरा 8.4 और 8.5 के अनुसार, खेलकूद कोटा के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए "सेवा बांड" की अवधि पांच वर्ष होगी। यदि कर्मचारी उपर्युक्त किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो वह सरकार को रु. की राशि (पांच वर्षों की अवधि अर्थात् बांड अवधि के लिए देय वेतन के समकक्ष) का भुगतान करेगा और उनकी सेवा एक माह के नोटिस पर समाप्त कर दी जाएगी।

2. सेवा बांड के छूट के मामले की समीक्षा बोर्ड कार्यालय में की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन खिलाड़ियों ने खेलकूद कोटा के तहत उचित माध्यम से आवेदन दिया है और उनका केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत या सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र/राज्य सरकार के पूर्णतः या मूलतः/स्वामित्व वाली/उनके द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित स्वायत्त निकाय में चयन हुआ हो तो उनके बांड अवधि की शेष राशि आगे स्थानांतरित की जा सकती है। यह उन मामलों में भी लागू होगा जहां ये संगठन इन पदों को स्वतः घोषित/प्रदान करते हैं।

3. इसे वित्त निदेशालय और बोर्ड (कार्मिक सदस्य) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(भास्कर रॉय चौधरी)
उन निदेशक/स्था.(खेलकूद)

12.06.18

DY. CPD/NLS
APD/HR/15

2
10/6/2018

RBE No. 81/ 2018
Clarification/Corrigendum No. 93

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2017/E(Sports)/4(1)/17/Service Bond

New Delhi, dated 07.06.2018

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

Sub.: Resignation of Sportspersons recruited under sports quota.

Ref.: Board's letter no 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189/2010).

As per para 8.4 and 8.5, of Board's letter dated 31.12.2010, the "Service Bond" period for the persons recruited against sports quota shall be of five years. In case if infringement/violation of any of the above conditions by the Employee, he/she shall pay to the Government of an amount of Rs. (equivalent to the salary payable for the period of five years, i.e. bond period) and that his/her services shall be terminated on one month's notice.

2. The issue of exemption of Service Bond has been reviewed in Board's office. It has been decided that a sportsperson who has applied through proper channel and get selected to posts under the Central or State Govt. or in PSU, Autonomous bodies wholly or substantially owned/financed/controlled by the Central/State Govt., the balance amount of their bond period may be carried forward. This will also apply to cases where such organizations announce/offer these posts suo-moto.

3. This issues with the approval Finance Directorate and Board (MS).

Bhaskar Roy Chaudhary

(Bhaskar Roy Chaudhary)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

—2—

201
14.6.18
Ruling